न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>मुन्तकिली प्रकरण संख्या 179 / 2022 (RCMS : 2022/269)</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मोहन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख आयु 68 साल निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

— — — प्रार्थी

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरनपुर** 2. **भाग सिंह** पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर 3. **शेर सिंह** पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर 4. **मेहर सिंह** पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी बशीर तहसील व जिला हनुमानगढ़ 5. **बूटा सिंह** 6. **मक्खन सिंह** 7. **कपूर सिंह** 8. **पालू** सिंह पिसरान केहर सिंह अकवाम बावरी निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ 9. **नामो पत्नी बिशन सिंह** पुत्री केहर सिंह जाति बावरी निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ 10. **गुरदयाल सिंह** पुत्र विष्णु सिंह पुत्र भागो जाति बावरी निवासी 53 जी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 11 **बंसो पत्नी ज्ञान सिंह** पुत्रवधु टेक सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 12. **ध्यान सिंह पुत्र टेक सिंह** जाति बावरी निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 13. **सर्फो उर्फ बचन कौर** पत्नी काला सिंह पुत्री टेक सिंह जाति बावरी निवासी सिंगेवाला तहसील डबवाली, हरियाणा 14. **दीवान सिंह** पुत्र टेक सिंह जाति बावरी निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर 15. **अर्जुन सिह** 16. **सुरजन सिंह** 17. **मोहन सिंह** पिसरान शेर सिंह पुत्र महेन्द्रों जाति बावरी निवासीयान 62 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर 18. **भजनो पत्नी जगदीश** पुत्री महिन्द्रो जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 19 **ज्ञानो पत्नी बलवीर सिंह** पुत्री महिन्द्रो जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 20. [illegible] कौर पत्नी [illegible] सिंह पुत्री महिन्द्रो जाति बावरी निवासी बिन्जोर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर 21. **स्टेट** [illegible] तहसील (राजस्व) श्रीकरनपुर

— — — अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

11.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री फलभूर सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा व श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनका प्रकरण संख्या 29/2005 अनवानी मोहन सिंह बनाम भाग सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय विचाराधीन है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी,श्रीकरणपुर छोटी छोटी तारीखें डाल रहे है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर अप्रार्थीगण के प्रभाव में है और स्थानीय विधायक से राजनैतिक दबाव डलवा कर उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में करवाना चाहते है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में उक्त लम्बित प्रकरण संख्या 29/2005 अनवानी मोहन सिंह बनाम भाग सिंह वगै. को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण को स्थानीय विधायक के साथ उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से मिलते हुए देखा है तथा अप्रार्थीगण ऐलानिया तौर पर प्रार्थी को कहा है कि वे मुकदमा अपने पक्ष में करवायेगें। इसलिए प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उसकी पत्रावली को न्याय हित में अन्य किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अत्यधिक पुराना है, जिसे पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निस्तारण किया जा रहा है, जिसे प्रार्थीगण जानबूझकर देरी करना चाहते है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ताओं ने कथन किया कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनैतिक दबाव नही बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। समस्त तथ्य प्रार्थी ने झूठे एवं मनगढंत अंकित करवाये है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन था कि उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने **अपनी बहस के समर्थन** में 2020 डीएनजे(Rev.) पेज 269–272 एवं 420–422 और आरआरटी 2017 पेज 946–949 की प्रति पेश की।

मैंने, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 14.12.2022 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी मोहन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी मोहन सिंह बनाम भाग सिंह अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आधार [illegible] नहीं की है। इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, बल्कि इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी मोहन सिंह द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर उनके प्रकरण में छोटी छोटी तारीखें डाल रहे है तथा पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उनसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारित करने के लिए छोटी छोटी तारीखें दी जा रही है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करने पर आक्षेप कैसे किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की इससे मंशा कैसे पता चलती है? दूसरा अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए सही मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> Transfer of case : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested

मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए"** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:01 IST
Reason: SelfAttested